

4.3. लेखों की लेखापरीक्षा

आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सीएजी एम्पैनेल्ड चार्टर्ड अकाउण्टण्ट द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए लेखा निम्न हैं।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग

वर्ष 2014-15 का भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग का अनंकेक्षित वार्षिक लेखें

आयुष मंत्रालय

भारत सरकार

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद

31.03.2015 को यथास्थिति तुलन पत्र

निधि/ पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
चिह्नित/समर्पित निधि	1	28,64,405	85,75,694
निधि/पूंजी निधि	-	-	-
चालू देयताएं प्रावधान	-	-	-
योग	-	28,64,405	85,75,694
परिसंपत्ति	-	-	-
स्थायी सम्पत्तियाँ	-	-	-
निवेश-अन्य	-	-	-
चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम	2	28,64,405	85,75,694
योग	-	28,64,405	85,75,694
अहम लेखा नीति	6	-	-
आकस्मिकता देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	7	-	-

ह./-

वी.वी. पटेल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-

ए.के. त्रिपाठी
लेखा अधिकारी
सीसीआरएस
जनकपुरी,
नई दिल्ली - 110058

ह./-

निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
भेषजसंहिता आयोग,
पी.एल.आई.एम. परिसर, कमला
नेहरू नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद

31.03.2015 को समाप्त अवधि/वर्ष का आय और व्यय लेखा

(अ) आय		राशि (रुपयों में)	
आयोजना और आयोजना भिन्न	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुदान/सहायता	-	-	-
अर्जित ब्याज	-	-	-
अन्य आय	-	-	-
योग	-	-	-
* (ब) व्यय			
स्थापना व्यय	3	32,53,036	11,516
अन्य प्रशासनिक व्यय	4	24,58,253	25,70,929
अनुदान सहायता पर व्यय	-	-	-
मूल्यहास	-	-	-
योग	-	57,11,289	25,82,445
व्यय से अधिक हुई आय पर शेष (अ-ब) पी.सी.आई.एम.		(57,11,289)	(25,82,445)
अधिशेष पर शेष/ (घाटा) घाटे की ओर ले जाना/ पूंजी कोष		(57,11,289)	(25,82,445)
महत्त्वपूर्ण लेखा नीति	6	-	-
आकस्मिक देयता और लेखों पर टिप्पणी	7	-	-

ह./-
वी.वी. पटेल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
ए.के. त्रिपाठी
लेखा अधिकारी
सीसीआरएस
जनकपुरी,
नई दिल्ली - 110058

ह./-
निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
भेषजसंहिता आयोग,
पी.एल.आई.एम. परिसर, कमला
नेहरू नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद

31.03.2015 को समाप्त अवधि/वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति			भुगतान		
शीर्ष	रुपये		शीर्ष	रुपये	
अथ शेष (01.04.2015)	चालू वर्ष	गत वर्ष	आयोजना	चालू वर्ष	गत वर्ष
नगद राशि	-	-	स्थापना व्यय		
बैंक में जमा राशि	85,75,694	1,11,58,139	अधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतान करना	32,53,036	11,516
प्राप्त अनुदान					
केन्द्रिय अनुदान	-	-	प्रशासनिक व्यय		
अन्य प्राप्तियां	-	-	आकस्मिक खर्च	11,92,676	
			यात्रा खर्च / भेषजसंहिता समिति बैठक (सिटिंग भत्ता)	12,65,577	25,70,929
			जमा शेष	-	-
			नगद राशि	-	-
			बैंक में जमा राशि	28,64,405	85,75,694
योग	85,75,694	1,11,58,139	योग	85,75,694	1,11,58,139

ह./-
वी.वी. पटेल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
ए.के. त्रिपाठी
लेखा अधिकारी
सीसीआरएस
जनकपुरी,
नई दिल्ली - 110058

ह./-
निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
भेषजसंहिता आयोग,
पी.एल.आई.एम. परिसर, कमला
नेहरू नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद

31.03.2015 को समाप्त अवधि/वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

अनुसूची 1: पूंजी / निधि	राशि (रुपयों में)	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
शेष राशि वर्ष के शुरु में	8,57,45,694	1,11,58,139
जोड़िए : पूंजी / निधि के लिए दिए गए		
घटाइए : आय व व्यय का घाटा	(57,11,289)	(25,82,445)
योग	28,64,405	85,75,694

अनुसूची 2 - वर्तमान की परिसम्पत्तियां अग्रिम राशि तथा ऋण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक शेष (बचत खाता)	28,64,405	85,75,694
योग	28,64,405	85,75,694

अनुसूची 3 - स्थापना व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
वेतन व भत्ते	32,53,036	11,516
योग	32,53,036	11,516

अनुसूची 4 - प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
आकस्मिक	11,92,676	21,20,291
यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता / सिटिंग फीस	12,65,577	4,50,638
योग	24,58,253	25,70,929

ह./-
वी.वी. पटेल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
ए.के. त्रिपाठी
लेखा अधिकारी
सीसीआरएस
जनकपुरी,
नई दिल्ली - 110058

ह./-
निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
भेषजसंहिता आयोग,
पी.एल.आई.एम. परिसर, कमला
नेहरू नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद

31.03.2015 को समाप्त अवधि का आय और व्यय लेखा का भाग करने वाली अनुसूची

अनुसूची 6 – महत्त्वपूर्ण लेखापालन नीतियाँ

1. **लेखा पालन नीतियाँ:** वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी और प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किया जाता है।
2. **मालसूची मूल्यांकन:** भंडारों (मशीनरी और अतिरिक्त पुर्जों सहित) का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।
3. **स्थिर परिसम्पत्तियाँ:** स्थिर परिसम्पत्तियों का विवरण, अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय और करों सहित अधिग्रहण लागत के आधार पर दिया जाता है और लागत के आधार पर उन्हें पूंजीकृत किया जाता है।
4. **मूल्यहास:** स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लागतहीन संचयन मूल्यहास के आधार पर किया जाता है, संबंधित वर्ष की स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यहास निम्नलिखित दरों में परिसंपत्तियों का मूल्य दिया गया है।

मद	मूल्यहास की दरें
भवन	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10%
वाहन, आवश्यक उपस्कर और कार्यालय उपस्कर	15%
प्रयोगशाला और अस्पताल उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी	15%
कम्प्यूटर और पुस्तकालय पुस्तकें	60%

5. **सरकारी अनुदान/ सहायता:** सरकारी अनुदान वर्ष के दौरान पूंजीकृत आय और व्यय का विवरण प्राप्तियों के आधार पर खाते में लिया गया है।
6. **सेवानिवृत्ति/ हितलाभ:** मृत्यु पर उपदान का भुगतान/ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति वास्तविक आधार पर ली गई है।

ह./-
वी.वी. पटेल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
ए.के. त्रिपाठी
लेखा अधिकारी
सीसीआरएस
जनकपुरी,
नई दिल्ली - 110058

ह./-
निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
भेषजसंहिता आयोग,
पी.एल.आई.एम. परिसर, कमला
नेहरू नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद

31.03.2015 को समाप्त होने वाले अवधि के लिए खातों की अनुसूची का निर्माण भाग

अनुसूची 7: लेखा पर हस्ताक्षर किए जाने वाले उत्तरदायित्व और नोट्स (अनौपचारिक)वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम:

1. वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिमों के पास व्यापार के सामान्य क्रम में प्राप्ति पर मूल्य है, जो कम से कम समतुल्य राशि को बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

2. कराधान

कराधान को देखते हुए, गैर-लाभकारी संगठन होने के नाते, वर्ष 2014-15 के लिए परिषद के वार्षिक वित्तीय वक्तव्य में आयकर का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है (आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आकलन वर्ष 2015-16)

3. पिछले वर्ष के समान आंकड़े फिर से संगठित / पुनर्संगणित किए गए हैं, जहां भी आवश्यक हो।

4. अनुसूचियाँ और अनुलग्नक 31.03.2015 को अनुलग्नित किए गए हैं जो कि बैलेंस शीट और आय व्यय और रसीद-भुगतान खाते का अभिन्न अंग हैं।

5. आंकड़े निकटतम रूपों में पूर्ण कर दिये हैं।

6. क. वास्तविक व्यय आधार पर आय व्यय और रसीद भुगतान खातों को तैयार किया गया है। आय-व्यय खाते के बदले अग्रिमों पर व्यय को बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जैसे कि आय और व्यय खाते सकल व्यय की तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करते है।

ख. आय और व्यय खाते (+) में दी गयी वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए, कुल व्यय, बैलेंस शीट में गिरावट,

7. सेविंग एंड फिक्स्ड राशियों में जमा पर ब्याज, अनुसूची 7 (प्रोविजन) और अनुसूची 11 (बी) में प्रोद्भवन आधार पर दिखाया गया है।

8. स्वायत्त निकायों के वार्षिक खातों के स्वरूप के अनुसार अन्य कार्यक्रम, जो पीसीआईएमएच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, यहां शामिल नहीं किए गए हैं।

ह./-

वी.वी. पटेल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-

ए.के. त्रिपाठी
लेखा अधिकारी
सीसीआरएस
जनकपुरी,
नई दिल्ली - 110058

ह./-

निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं
होम्योपैथी भेषजसंहिता
आयोग, पी.एल.आई.एम.
परिसर, कमला नेहरू नगर,
गाजियाबाद

4.4. पृथक ओडिट रिपोर्ट (एसएआर)

आयोग के खातों का ओडिट सीएजी इलाहाबाद द्वारा 13 - 17 फरवरी 2017 को किया गया। पृथक ओडिट रिपोर्ट (एसएआर) जो कि सीएजी द्वारा भेजी गई संलग्नक VI में प्रदर्शित हैं।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:

लघुलिपि प्रक

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ, शाखा कार्यालय इलाहाबाद
"सत्यनिष्ठा भवन" 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद-211001

पत्र सं: स्वा नि. (के)/एस.ए.आर. 50-2/2017-18/

दिनांक: 06.2017

सेवा में,

सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली-110108

विषय: फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, गाजियाबाद वर्ष 2014-15 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

इस पत्र के साथ फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, गाजियाबाद के वर्ष 2014-15 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) तथा वार्षिक लेखों की प्रति अग्रसारित की जा रही है।

2. कृपया सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित लेखा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ।

3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अन्तिम रूप से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ-साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

4. कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

पत्र सं: स्वा नि. (के)/एस.ए.आर. 50-2/2017-18/31

दिनांक: 06.2017

वर्ष 2014-15 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति निदेशक, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, एम ब्लॉक, संजय नगर, सेक्टर 23, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित होना चाहिए :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

उप निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

2/3
12/6/17

2/3
12/6/17

158
12-6-17

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:

हमने 31 मार्च, 2015 तक भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी, गाजियाबाद (आयोग) के लिए संलग्न शेष पत्र की लेखापरीक्षा की है, उस वर्ष की आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाता, उस वर्ष 20 जून 11 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अध्ययन के साथ नियम 13.2 के तहत आयोग के ज्ञापन नियम और विनियमन 2014 के तहत किया गया। लेखा परीक्षा का कार्य 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण आयोग की प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी में वर्गीकरण, उत्तम लेखा पद्धति के अनुसार लेखा मानकों, प्रतिमानकों का प्रकटीकरण शामिल है। वित्तीय लेन देन पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण संबंधी लेखा विधि, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं विनियामक) के अनुसार तैयार किया गया है तथा कार्यकुशलता सह संपादन पक्ष, यदि कोई है तो, को जांच प्रतिवेदन/नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पृथक महालेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से प्रतिवेदित किया गया है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों में आवश्यक है कि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त किया जाए कि वित्तीय विवरण वास्तविक रूप में दिए गए हैं, हमने लेखा परीक्षा योजित और निष्पादित की है। लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों एवं प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान के साथ- साथ वित्तीय विवरणों के पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षा में अपने विचारों को उचित आधार पर प्रस्तुत किया है।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर हमने प्रतिवेदित किया है कि:

- (i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे जरूरी है;
- (ii) इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए शेष पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है;
- (iii) हमारी राय में, ऐसे पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होने तक, आयोग के ज्ञापन आयोग और नियमों और विनियमन 2014 के नियम 13.1 के तहत जरूरी है कि खातों और पुस्तकों की उचित पुस्तकों को बनाए रखा गया है;
- (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि;

(क) सामान्य

(1) आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रति बयान के अनुसार, 31 मार्च, 2015 के अंत में तय संपत्तियां 4.51 लाख थीं लेकिन शेष पत्र में अचल परिसम्पत्ति का मूल्य 'खाली' के रूप में दिखाया गया था 4.51 लाख के दो आंकड़ों के बीच मिलान करने की जरूरत है।

(2) आयोग ने लेखा मानक 15 के उल्लंघन में बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया।

(ख) अनुदान में सहायता

वर्ष 2014-15 के दौरान, आयोग को कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। पिछले साल से 85.76 लाख (योजना) के आरम्भिक की शेष राशि में, आयोग ने 57.11 लाख (योजना) की राशि का समापन किया जिसमें 31 मार्च, 2015 को 28.65 लाख (योजना) शेष है

- (i) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित शेष पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की पुस्तकों के साथ समझौते में हैं।
- (ii) हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों को लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ एक साथ पढ़ा जाता है, और ऊपर उल्लेखित महत्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों में उल्लिखित मामलों के अनुसार। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक यह 31 मार्च 2015 तक भारतीय चिकित्सा एवं भेषजसंहिता आयोग के मामलों के राज्य के शेष पत्र से संबंधित है; तथा

ख) जहां तक यह उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

स्थान:

भवदीय

तिथि:

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित नहीं की गई क्योंकि आयोग में स्वयं की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं थी। आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल भी आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ने निम्नलिखित कमियों को दर्शाया:

- 2014-15 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं किया गया था
- शीर्ष प्रकार जर्नल और लेजर के रखरखाव का अभाव।
- निष्क्रिय निधियों का गैर-निवेश
- स्टोर ऑफिसर के रिकॉर्ड में दिखाए गए निश्चित परिसंपत्तियों को मूल्य खातों में नहीं दर्शाया गया था।

3. अचल परिसम्पत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था

2014-15 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया था। हालांकि, स्टोर ऑफिसर के रिकॉर्ड में दिखाए गए अनुसार अचल परिसम्पत्ति खातों के साथ उसका तालमेल नहीं हो रहा था।

4. माल के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था

खातों में कोई सूची नहीं देखी गई थी हालांकि, वर्ष 2014-15 के दौरान माल की प्रत्यक्ष जांच की जानी थी

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

आयोग की नियमित रूप से वैधानिक देय राशि का भुगतान करता था और 31 मार्च, 2015 को इसके खिलाफ कुछ भी लंबित नहीं है।

अस्वीकरण/DISCLAIMER

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग के इस वार्षिक प्रतिवेदन के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों में यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो अंग्रेजी संस्करण को मान्य माना जायेगा।

In case of any discrepancy among Hindi and English versions of this Annual Report of Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, the English version will be treated as authentic.

4.3. Audited Accounts

The accounts duly verified by the Chartered Accountant appointed by Commission are placed below.

**“PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE
& HOMEOPATHY”**

**UNAUDITED ANNUAL ACCOUNTS OF “PHARMACOPOEIA
COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE & HOMEOPATHY”
FOR THE YEAR 2014-15**

**Ministry of AYUSH
Government of INDIA**

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
NAME OF ENTITY: PHARMACOPEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE & HOMEOPATHY
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2015

Corpus / Capital Fund & Liabilities	Schedule	Current Year	Previous year
Corpus / Capital Fund	1	2,864,405.00	8,575,694.00
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Current Liabilities	-	-	-
Total		2,864,405.00	8,575,694.00
Assets			
Fixed Assets	-	-	-
Investment - Others	-	-	-
Current Assets, Loans & Advances	2	2,864,405.00	8,575,694.00
Total		2,864,405.00	8,575,694.00
Significant Accounting Policies	6	-	-
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	7	-	-

For V.V. Patel & Co.

Chartered Accountants

V.V. Patel

CA Rajeev S. Pandya
(Partner)
(Membership no. : 156652)



Rajeev S. Pandya
 ए. के. शिपाई
 सेवानिवृत्त
 सी. पी. ऑफ. ए. एम.
 कायदाधारी नं० दिल्ली-110008

Rajeev S. Pandya
 25/05/15

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
NAME OF ENTITY: PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE & HOMEOPATHY
Income & Expenditure Account for the year ended 31-03-2015

<u>(A) Income</u>	Schedule	Current Year	Previous year
Grant / Subsidies	-	-	-
Interest Earned	-	-	-
Other Income	-	-	-
Total		-	-
<u>(B) Expenditure</u>			
Establishment Expenses	3	3,253,036.00	11,516.00
Administrative Expenses	4	2,458,253.00	2,570,929.00
Expenditure against Grants Subsidies	-	-	-
Depreciation	-	-	-
Total		5,711,289.00	2,582,445.00
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(5,711,289.00)	(2,582,445.00)
Balance being surplus / (deficit) carried to Corpus Capital Fund		(5,711,289.00)	(2,582,445.00)
Significant Accounting Policies	6	-	-
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	7	-	-

For V.V. Patel & Co.

Chartered Accountants

Rajeev S. Pandya
 CA Rajeev S. Pandya
 (Partner)
 [Membership no. : 156652]



Dr. Anil Astik
 Dr. Anil Astik
 સેવાગિતરવી
 વી. સી. સ્વા. ઇ. સ્વ.
 ડાકખુરી નંબર ડિલ્લી-110088

Rajeshwari Astik
 Rajeshwari Astik

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
NAME OF ENTITY: PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE & HOMEOPATHY
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

	AMOUNT (INR)		PAYMENT	AMOUNT (INR)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
RECEIPTS					
Opening Balance			Establishment Expenses		
Cash in Hand			Pay & Allowances	3,253,036.00	11,516.00
Cash at Bank	8,575,694.00	11,158,139.00	Administrative Expenses		
Grant Received			Contingencies	1,192,676.00	-
Central Government			Travelling Allowances/ Sitting Fees	1,265,577.00	2,570,929.00
Other Receipt			Closing Balance		
			Cash in hand		
			Cash at Bank	2,864,405.00	8,575,694.00
Total	8,575,694.00	11,158,139.00	Total	8,575,694.00	11,158,139.00



Prof. Jmt
 ए. से. शिपाजी
 सेक्रेटरी
 सी. पी. आर. ए. एच.
 अणुसंधी नॉड दिल्ली-110085

Rishabhama
 25/05/15

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
NAME OF ENTITY: PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE & HOMEOPATHY
Schedule Forming Part of Income & Expenditure Account for the year ended 31-03-2015

Schedule-1 : Corpus / Capital Fund	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning of the year	8,575,694.00	11,158,139.00
Add: Contribution towards corpus/capital fund	-	-
Less: Deficit from Income & Expenditure Account	(5,711,289.00)	(2,582,445.00)
Total	2,864,405.00	8,575,694.00

Schedule-2 : Current Assets, Loans & Advances	Current Year	Previous Year
Bank Balances (saving account)	2,864,405.00	8,575,694.00
Total	2,864,405.00	8,575,694.00

Schedule-3 : Establishment Expenses	Current Year	Previous Year
Salary, Wages & Allowance	3,253,036.00	11,516.00
Total	3,253,036.00	11,516.00

Schedule-4 : Administrative Expenses	Current Year	Previous Year
Contingencies	1,192,676.00	2,120,291.00
TA/DA Sitting Fees	1,265,577.00	450,638.00
Total	2,458,253.00	2,570,929.00



Dr. P. K. Singh
 31/03/15
 ए. को. निदेशी
 लेखाधिकारी
 ए. को. आर. ए. ए. ए.
 कागज नं० दिल्ली-110068

R. K. JAIN
 31/03/15

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity: PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE & HOMEOPATHY

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2015

SCHEDULE 6: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)

1. Accounting Convention:

The Financial Statements have been prepared on the basis of historical cost convention and on Cash basis, unless otherwise stated and on the Cash method of accounts.

2. Inventory Valuation:

Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. Fixed Assets:

Fixed Assets are stated at cost of acquisition of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses including interest on loans to specific project to its completion, form part of the value of the assets capitalized.

4. Depreciation:

Depreciation on fixed assets for the year has been provided on the written down/diminishing value of assets at the following rates:

<u>Items</u>	<u>Rate of Depreciation</u>
Building	5%
Furniture & Fixture	10%
Vehicles, Essential Equip. & Office Equipment	15%
Lab & Hospital Equip., Plant & Machinery	15%
Computers & Library Books	60%

5. Government Grant/Subsidies:

Government grants capitalized during the year has been taken into account receipts basis in income and expenditure statement.

6. Retirement Benefits:

Gratuity paid on death/retirement of employees is taken on actual basis.



Prof. P. M. A.
25/05/15
ए. के. त्रिपाठी
लेखाधिकारी
सी. सी. नगर, ए. एस.
जनकपुरी नगरी दिल्ली-110088

R. K. Sharma
25/05/15

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity: PHARMAICOPEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE& HOMEOPATHY

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2015

SCHEDULE 7: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (ILLUSTRATIVE)

1. Current Assets, Loans and Advances:

In the opinion of the Management, the Current Assets, Loans and Advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

2. Taxation

In view of Taxation, being a Non-Profit Organization, no provision of Income Tax has been provided in the Annual Financial Statement of the Council for the year 2014-15 (Assessment year 2015-16 as per Income Tax Act, 1961)

3. Corresponding Figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

4. Schedules & Annexures are annexed to and form an Integral Part of the Balance Sheet as at 31.03.2015 and the Income-Expenditure & Receipt-Payment Accounts.

5. Figures have been rounded off to nearest Rupees.

6. i) Income-Expenditure & Receipt-Payment Accounts have been prepared on actual expenditure basis. Expenditure on Advances is shown in Balance Sheet instead of Income-Expenditure Account as such Income and Expenditure account does not reflect the picture of gross expenditure.

ii) Gross expenditure can be arrived at by taking into consideration the Actual Expenditure shown in Income & Expenditure Account (+) Advances, depreciated in Balance Sheet.

7. Interest on Deposit at Saving & Fixed amounts has been shown in Schedule 7 (Provision) & Schedule 11 (B) on Accrual Basis.

8. The other schedule as per the format of Annual Accounts of Autonomous Bodies, which are not relevant to PCIMH, have not been included herein.



Dr. Prakash
25/03/15
ए. फे. निपाठी
लेखाधिकारी
सी. ए. आर. ए. एस.
पानकपुरी चर्च दिल्ली-110088

R. K. Sharma
25/03/15

4.4. Separate Audit Report (SAR)

Audit for Accounts of the Commission by the CAG, Allahabad for the reporting period was conducted during 13th - 17th February, 2017. The Separate Audit Report (SAR) as communicated by CAG is attached at Annexure-VI.

Separate Audit report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy, Ghaziabad for the year ended 31 March, 2015

लखित प्रक

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ, शाखा कार्यालय इलाहाबाद
"सत्यनिष्ठा भवन" 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद-211001

पत्र सं०: स्वा नि. (कें)/एस.ए.आर. 50-2/2017-18/

दिनांक: 06.2017

सेवा में,

सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली-110108

विषय: फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, गाज़ियाबाद वर्ष 2014-15 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

इस पत्र के साथ फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, गाज़ियाबाद के वर्ष 2014-15 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) तथा वार्षिक लेखे की प्रति अग्रसारित की जा रही है।

2. कृपया सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित लेखा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ।
3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखों को संसद के दोनों सदनों के सम्म अन्तिम रूप से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ-साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।
4. कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

पत्र सं०: स्वा नि. (कें)/एस.ए.आर. 50-2/2017-18/31

दिनांक: 02.06.2017

वर्ष 2014-15 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति निदेशक, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, एम ब्लॉक, संजय नगर, सेक्टर 23, कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद-201002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित होना चाहिए :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

उप निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

23/11/17
D/O
12/6/17

158
12-6-17

Separate Audit report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy, Ghaziabad for the year ended 31 March, 2015

We have audited the attached Balance Sheet of Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy, Ghaziabad (Commission) as at 31st March, 2015, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under section 20 (1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with rule 13.2 of Memorandum of Association and Rules and Regulation 2014 of the Commission. The audit has been entrusted for the period from 2013-14 to 2017-18. These financial statements are the responsibility of the Commission's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the accounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained as required under rule 13.1 of Memorandum of Association and Rules and Regulation 2014 of the Commission in so far as it appears from our examination of such books;

(iv) We further report that;

(A) General

(A.1) As per statement submitted by the Commission, the fixed assets at the end of 31st March, 2015 was ₹ 4.51 lakh, but the value of Fixed Assets in the Balance Sheet was shown as 'Nil'. The difference of ₹ 4.51 lakh between two sets of figures need to be reconciled.

(A.2) The Commission did not make provision of retirement benefits on actuarial basis in contravention of accounting standard 15.

(B) Grants-in-Aid

During the year 2014-15, the Commission did not receive any grants-in-aid. Out of opening balance of ₹85.76 lakh (Plan) from previous year, the Commission utilised an amount of ₹57.11 lakh (Plan) leaving a closing balance of ₹ 28.65 lakh (Plan) as on 31 March, 2015.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy, Ghaziabad as at 31st March 2015; and
- b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the 'deficit' for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India



Principal Director of Audit (Central)

Place: Lucknow

Date: 29.5.17

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

The Internal Audit was not conducted during the year 2014-15 as the Commission did not have Internal Audit System of their own. Internal Audit Manual had also not been prepared by the Commission.

2. Adequacy of Internal Control System

The Internal Control System in the Commission reflected the following deficiencies:

- Internal audit was not conducted during the year 2014-15.
- Non-maintenance of head-wise Journal and Ledgers.
- Non-investment of idle funds.
- Value of fixed assets shown in records of store officer was not reflected in accounts.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

Physical verification of Fixed Assets was carried during the year 2014-15. However, Fixed Assets as shown in records of Store officer were not tallying with Accounts.

4. System of Physical Verification of Inventories.

There was no inventory shown in Accounts. However, Physical Verification of Inventory was reported to be done during the year 2014-15.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Commission was regular in payment of statutory dues and nothing is pending against it as on 31 March, 2015.


Dy. Director of Audit (CE)
24/5/17